

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध/द्वारा फ़ैक्स/क्यू-मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

टावर-2, चतुर्थ तल, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ लखनऊ 226010

संख्या:डीजी-चार-स्था0-ग्रीष्मकालीन स्था0 ना0पु0/2020/269 दिनांक:लखनऊ: जनवरी 22, 2021
सेवा में,

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त-लखनऊ नगर/गौतमबुद्धनगर।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि विगत वर्षों की भांति ही ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2021 के अन्तर्गत जोनल पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मिकों, प्रशासनिक आधार पर संस्तुत प्रकरणों एवं अनुकम्पा के आधार पर निम्न पदों पर कार्यरत कर्मियों यथा:-

- (1) निरीक्षक नागरिक पुलिस
- (2) उप निरीक्षक नागरिक पुलिस
- (3) उप निरीक्षक ना0पु0 वि0श्रे0/मुख्य आरक्षी ना0पु0
- (4) मु0आ0 वि0श्रे0/आरक्षी ना0पु0

के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.03.2021 तक इस मुख्यालय को जरिये विशेष वाहक हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी E Mail ID- dgphqrstransfercell@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित "पुलिस स्थापना बोर्ड" के विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मों की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut of Date 30-04-2021 नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं को मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर पूर्ण कर ली जाय:-

- (1) परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक: 15.02.2021 तक पूर्ण कर लेंगे तथा जोनल एवं मुख्यालय स्तर से वॉछित स्थानान्तरण से संबंधित सूची जोनल कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- (2) जोनल प्रभारी अपने स्तर पर समायोजन हेतु चिन्हीकरण की कार्यवाही दिनांक: 28.02.2021 तक पूर्ण कर लेंगे।
- (3) मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में जोन के समस्त जनपदों की संकलित/समेकित सूची/विवरण दिनांक: 15.03.2021 तक इस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उसपर विचार नहीं किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय का होगा।
- (4) स्थानान्तरण से संबंधित संदर्भों का परीक्षण शासनादेश दिनांक: 11.07.1986 एवं 07.06.2014 व 24.07.2015 तथा इस मुख्यालय के पत्र दिनांकित 22.06.2017 एवं 19.12.2020 में निहित प्राविधानों को भी ध्यान में रखते हुये किया जाये। शासनादेश व पत्र की प्रति संलग्न है।
- (5) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियों को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाय जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किये गये हैं।
- (6) प्रत्येक जनपद/कार्यालय का पदवार अद्यावधिक स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी संलग्न किया जायेगा।

- (7) इस मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण संबंधी समस्त कार्यवाही दिनांक: 31.03.2021 तक पूर्ण कर ली जायेगी। अतएव जोन एवं परिक्षेत्र स्तर से चिन्हित समस्त कर्मियों के स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही दिनांक: 31.03.2021 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाय।
- (8) परिक्षेत्र/जोनल/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित समस्त कर्मियों को दिनांक: 30-04-2021 तक प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जाये। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि दिनांक: 30-04-2020 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहे।

(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण—

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों के प्रार्थना-पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर करते हुए, अंकित तथ्य सत्य पाये जाने एवं स्थानान्तरण आवश्यक होने पर प्रार्थना-पत्र एवं सम्पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप-“ए” में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किये जाय। इन सूचनाओं एवं आवेदनों का परीक्षण परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर भी किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही संबंधी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिये बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट करना समीचीन है कि मात्र गृह जनपद की दूरी सामान्यता अनुकम्पा का आधार नहीं होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेंगे।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो एवं उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार उपलब्ध हो तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण—

जनपद/इकाई में सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut of Date 30-04-2021 नियत की गयी है। निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् है:—

क्र० सं०	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद/कमिश्नरेट में	एक परिक्षेत्र में
1	निरीक्षक ना०पु०	05 वर्ष	12 वर्ष (कमिश्नरेट पर लागू नहीं होगा)
1	उपनिरीक्षक ना०पु०	06 वर्ष	12 वर्ष (कमिश्नरेट पर लागू नहीं होगा)
2	उपनिरीक्षक ना०पु० वि०श्रे० / मुख्य आरक्षी ना०पु०	10 वर्ष	—
3	मुख्य आरक्षी ना०पु० वि०श्रे० / आरक्षी ना०पु०	15 वर्ष	—

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण अलग-अलग निर्धारित प्रारूप-“बी” में हार्ड कापी एवं सी०डी० सहित जनपदों द्वारा परिक्षेत्र/जोनल प्रभारी के माध्यम से अग्रसारित किया जाय।

3- प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति इस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-चार-स्था0(निर्देश)/2017 दिनांक: 22-06-2017 के शीर्षक "प्रशासनिक स्थानान्तरण" के बिन्दु संख्या 01 से 06 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाये।

4- ऐसे कर्मियों जो विगत वर्षों से स्थानान्तरणाधीन है, परन्तु विभिन्न कारणों से अभी तक कार्यमुक्त नहीं हो सके है,

- को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए उनकी सूचना प्रारूप डी में संलग्न की जाये। साथ ही ऐसे कर्मों के नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी हैं तो उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यों का अवश्य अंकन किया जाय।
- माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए स्थगन संबंधी माननीय न्यायालय के निर्णय के प्रति संलग्न की जाय तथा प्रकरण में अबतक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाय।

सामान्य निर्देश

1. इस पत्र के साथ निम्न प्रारूप संलग्न है:-

प्रारूप-ए	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने
प्रारूप-बी	निर्धारित समयावधि
प्रारूप-सी	प्रशासनिक एवं जनहित
प्रारूप-डी	पूर्व से स्थानान्तरणाधीन कर्मियों का विवरण
प्रारूप-ई	पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति का विवरण

2. प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदों में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर कर्मियों को समय से प्रचार प्रसार न हो पाने के कारण, ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर निर्धारित तिथि के उपरान्त अराजपत्रित पुलिस कर्मों अपने प्रार्थना पत्र लेकर सीधे इस मुख्यालय में उपस्थित होते हैं, जिससे मुख्यालय पर अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मों अपना आवेदन समय से कर सकें तथा कोई भी कर्मों स्थानान्तरण के लिए सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ में प्रस्तुत नहीं होगा।

3. अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मों पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

4. संबंधित कर्मों के प्रार्थना पत्र को कमांकित किया जाय तथा कमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाय।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अशासकीय पत्रांक 8/2008 दिनांक: 29-01-2008 के अनुसार सभी कर्मियों का सही पर्सनल नम्बर (पीएनओ जो नामिनल रोल सिस्टम पर प्रदर्शित हो रहा हो) अंकित किया जायेगा। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
6. सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ आधारित नामिनल रोल डाटाबेस आन-लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियों एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मों पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मों का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।
7. स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मों की वास्तविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण पर विचारण किया जाय, जिससे वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा प्राप्त नामांकन/संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
8. ग्रीष्कालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह ध्यान रखा जायें कि प्रत्येक कर्मों का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।
9. जनपद लखनऊ में कमिश्नरेंट प्रणाली लागू होने के उपरान्त जनकपुर लखनऊ नगर एवं लखनऊ ग्रामीण में स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों द्वारा जनपद लखनऊ नगर, लखनऊ ग्रामीण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
10. सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सीडी तथा **E Mail ID- dgphqrstransfercell@gmail.com** में भी अवश्य प्रेषित की जाय। इस परिपत्र की प्रति **Circulars Regarding Establishment Matters of Non-GOs by DGP HQ** पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक:प्रारूप।

22/01
(आर०के०भारद्वाज)

पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ इकाईयों में नियुक्त कर्मियों के कार्यकाल की गणना इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी-चार-स्था०-निर्देश-2017/900 दिनांक: 22-06-2017 के शीर्षक "कार्यकाल निर्धारण के संबंध में मानक" में निहित प्राविधानों के अनुसार परीक्षण कराकर अपने स्तर से समायोजित करने तथा जिन

कर्मियों का समायोजन उनके अधीनस्थ इकाईयों में सम्भव न हो, से संबंधित कर्मियों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित प्रारूप में अलग-अलग सी0डी0 में तैयार करकार मय हार्ड कापी दिनांक: 15.03.2021 तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें/प्रशिक्षण निदेशालय/ विशेष जांच/भ्र0नि0सं0/ई0ओ0डब्लू/अभिसूचना मुख्यालय/एसआईटी/मानवाधिकार/सतर्कता अधिष्ठान/ रेडियो मुख्यालय/सीबीसीआईडी/सहकारिता विभाग/फायर सर्विस मुख्यालय/ यातायात निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ/आईटैक्स यूपी 112/एटीएस उ0प्र0/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ/ लाजिस्टिक्स/डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद/पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद /पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सीतापुर/एटीसी सीतापुर।

- 2- पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ
- 3- निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 कम्प्यूटर केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 केन्द्रीय वस्त्र भण्डार कानपुर।
- 6- सेनानायक, ए0पी0टी0एस0 चुनार, मिर्जापुर/फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव।
- 7- सेनानायक, पीटीएस मेरठ/गोरखपुर/मुरादाबाद/उन्नाव/सुल्तानपुर/जालौन।
- 8- पुलिस अधीक्षक, दस्यू उन्मूलन अभियान, कानपुर।
- 9- राज्य पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, सीतापुर।
- 10- मोटर वाहन अधिकारी, रीजनल वर्कशाप, वाराणसी/मुरादाबाद/आगरा/लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, उ0प्र0 लखनऊ।

प्राकृप "यु"

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों का विवरण																					
क्र०स०	पदनाम	बैंज न०	फिरनखो न०	कर्म का नाम	रिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले जनपद/इकाई का नाम	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	तृतीय वरीयता	दो वर्ष पूर्व प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित हुआ है तो उसका विवरण	यदि कर्म स्थानान्तरणार्थ है तो उसका विवरण
											जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक								
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					

कार्यालयप्राध्याक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फाण्ट(कृष्णा) में तैयार की जाय, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप "बी"

निश्चित अवधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	बैंज नं०	पीएनओ नं०	कर्म का नाम	मिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	मर्ता की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का नाम	कब से	कब तक	वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्म द्वारा आवेदन पर दिया गया हो तो उसमें वर्णित विकल्प	यदि कर्म स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें भाइकोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम भर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियाँ DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप "सी"

प्रशासनिक-आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों का विवरण

क्र.सं०	पदनाम	वैज नं०	पीएनओ० नं०	कर्म का नाम	जिला का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का नाम	जनपद/इकाई का नाम	कारण से	कारण तक	वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान पद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्म का नाम किसी अन्य सूची में सम्मिलित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख	प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण/संस्तुति अंकित किया जाए	यदि कर्म है तो उसका विवरण	अन्य	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फॉन्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम भर्ज न किये जाय, एक कर्म की सूचना एक ही सेल में फीड की जाय व समस्त तिथियां DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

प्रारूप "डी"

स्थानांतरणधीन पुलिस कर्मियों का विवरण, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया।

क्र०सं०	पदनाम	बैंज नं०	पीएनओ नं०	कर्म का नाम	पिता का नाम	नियुक्त का नाम	आदेश संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा स्थानांतरण किया गया है।	कहाँ से	कहाँ को	कार्यमुक्त न किये जाने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सिग्नेचर भवन पुलिस मुख्यालय टावर-2चतुर्थ तल, गोमतीनगर,विस्तार,शाहीदपथ,लखनऊ।
संख्या:डीजी-चार-स्था0-ग्रीष्मकालीन स्था0ना0पु0/2019/2680/2383 दिनांक:दिसम्बर 19, 2020

सेवा में,


1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस आयुक्त लखनऊ नगर एवं गौतमबुद्धनगर।

कृपया इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण व्यवस्था 2020 के अन्तर्गत समयावधि पूर्ण करने वाले उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी का नामांकन निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

2- उल्लेखनीय है कि आपके जोन के माध्यम से प्राप्त नामांकन पर कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी थी। शासनादेश सं0: 2176/6-पु-1-20-71/92टीसी दिनांक: 12-11-2020 द्वारा पुलिस विभाग को अनुकम्पा के आधार पर स्वयं के व्यय पर तथा समयावधि पूर्ण वाले कार्मिकों के स्थानान्तरण किये जाने की छूट प्रदान कर दी गयी है। आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में अधिकांश कर्मी सेवानिवृत्त/मृत/स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त हो गये होंगे।

3- प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 212/छ:पु0से0-2-20-522(9)/2020 दिनांक: 28.10.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश में आयुक्त प्रणाली के क्रियान्वयन के फलस्वरूप लखनऊ नगर, लखनऊ ग्रामीण एवं गौतमबुद्धनगर को जनपद माना गया है। जिसके कारण कमिश्नरेट लखनऊ नगर/गौतमबुद्धनगर में नियुक्त कर्मी का कार्यकाल जनपद के समान आगणित किया जायेगा। अतः लखनऊ नगर एवं गौतमबुद्धनगर से केवल उन उप निरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी के नामांकन उपलब्ध कराये जायेंगे जिन्होंने कमिश्नरेट में उ0नि0 06 वर्ष, मुख्य आरक्षी 10 वर्ष एवं आरक्षी 15 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है।

4- अतः अनुरोध है कि ऐसे उपनिरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी जिन्होंने जनपद/परिक्षेत्र/जोन का कार्यकाल दिनांक 30.04.2020 तक पूर्ण कर लिया हो उनका नामांकन इस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 20.12.2019 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में दिनांक 21.12.2020 तक साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में विशेष वाहक के माध्यम से इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साफ्ट कापी ई-मेल आईडी-digkarmik@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(संजय सिंघल)

अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

श्री आर०पी०व०द०रा०
CA-814 90

श्री आर०पी०व०द०रा०

श्री यशो प्रसाद,
गृह सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

पुलिस परामर्शदाता,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

गृह(पुलिस)अनुभाग-1

विषय- पुलिस दल के कोन्स्टेबल हेड कान्स्टेबल, उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण ।

संलग्नक : दिनांक : 11 जुलाई, 1983 ।

प्रति,

उपरोक्त विषयक शासनद्वारा संज्ञक-3442/आठ-1-31/70 दिनांक 27 जून 1983 का अधिकरण करते हुए श्री उन्मथास यह आदेश देते हैं कि पुलिस दल के कोन्स्टेबल, हेड कान्स्टेबल, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए तथा उक्त शासनद्वारा दया शीघ्र तक सुसंगठित समझा जाए ।

- 1- किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को उसके गृह परिक्षेत्र में तैनात न किया जाए साथ ही किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को ऐसे जिले में तैनात न किया जाए जो उसके गृह क्षेत्र से सीमावर्ती हो ।
- 2- किसी भी निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक को एक परिक्षेत्र में पूरे सेवा काल में 12 वर्ष से अधिक अवधि तक नियुक्त न रखा जाए । तब निरीक्षक को अनुभव से कम से कम 5 वर्ष से अधिक नियुक्त न किया जाए । तब उपनिरीक्षक को सेवा अवधि के अन्त में समीक्षा होगी । उपरोक्त नियुक्तियों के लिए आवश्यक संख्याओं का विवरण संलग्नक में दिया गया है ।
- 3- अधिसूचना विभाग के अतिरिक्त सभी उप निरीक्षक जो निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति पाये जाए उनकी प्रथम नियुक्ति जिला पुलिस में न की जाए अपितु उन्नीस (19) वर्ष की आयु में नयी नियुक्ति उन से कम से कम 5 वर्ष के लिए होगी । इस नियुक्ति में भी उनके गृह परिक्षेत्र एवं उपरोक्त सीमावर्ती जिलों का प्रतिबन्ध सापान्धतया लागू होगा । यदि कोई भी निरीक्षक प्रोन्नति के लिए अनुसूचित वर्ग के परचात जिला कार्यवाही दल के अतिरिक्त अपनी प्रोन्नति के लिये नियुक्त स्थान पर कार्यवाही ग्रहण नहीं करता है तो उसे कम से कम पांच वर्ष के लिए प्रोन्नति से विमुक्त कर दिया जाए ।

10/7/83

पुलिस उप परामर्शदाता (कार्यक)
मुख्यतः पुलिस परामर्शदाता
30 89, लखनऊ

10/7/83

(2)

- 4- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि थाने के प्रभारी अधिकारी शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही रहे, अतः उदात्ततायुक्त विद्यार्थियों/उप विद्यार्थियों में 50 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर ली हो, उन्हें थाने का कार्यभार न दिया जाए। इस संबंध में शारीरिक स्वस्थता हेतु फायरफेड अलग से जारी किये जा रहे हैं।
- 5- हेड कान्सटेबल तथा कान्सटेबल को अपने गृह जनपद में तथा गृह जनपद के संपर्कवर्ती जनपदों में तैनात न किया जाए अथवा जिन जनपदों में उनकी अचल सम्पत्ति हो, उनमें भी नियुक्त न किया जाए। हेड कान्सटेबल की एक जनपद में 10 वर्ष तथा कान्सटेबल को एक जनपद में 15 वर्ष तक की अवधि तक ही नियुक्त रखा जा सकता है, जिसमें हेड कान्सटेबल के विषय में संबंधित कान्सटेबल की नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित होगी।
- 6- उपरोक्त आदेशों के कार्यात्मक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे।
- 7- कृपया इस सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के संबंधित आदेशों में समुचित संशोधन किये जाने हेतु गृह(पुलिस)अनु-7 को स्पष्ट प्रस्ताव भेजा जाय।

पवरीय

ह/

आचार्य प्रसाद

सचिव

संख्या तथा : 5001(7)/अडि-1-तदनुसार

प्रतिनिधि नियुक्ति के सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (2) पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, 3030।
- (3) पुलिस महानिरीक्षक, अनुसंधान विभाग, 3030।
- (4) पुलिस महानिरीक्षक, 3030/3030, 3030।
- (5) पुलिस उपमहानिरीक्षक, टनकीय रेलवे पुलिस, 3030, इलाहाबाद।
- (6) निदेशक, पुलिस रेडियो संचार, 3030 पुलिस रेडियो मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (7) गृह(पुलिस) अनुभाग 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 व गोपन-7
- (8) सचिव, मुख्य भंत्री जी।

आचार्य से

ह/

अपरान्त सिन्हा, संयुक्त सचिव

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक,

अतिआवरण/महत्वपूर्ण
उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था0(निर्देश)/2017/900
सेवा में,

दिनांक:जून 22 2017

समस्त जौनल अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृपया अवगत कराना है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में आन्तरिक अनुशासन व पारदर्शिता बनाये रखने हेतु विभागीय मानकों को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन मानकों में से निम्न बिन्दुओं पर जौनल/परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रभारी के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है :-

कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक :-

- 1- शासनादेश दिनांकित: 11-07-1988 के अनुसार निरीक्षक व उपनिरीक्षक का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल क्रमशः 05 वर्ष व 08 वर्ष निर्धारित है तथा परिक्षेत्र का अधिकतम कार्यकाल 12 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व आरक्षी का एक जनपद का अधिकतम कार्यकाल क्रमशः 10 व 15 वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक व उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। मुख्य आरक्षी व आरक्षी अपने गृह जनपद व गृह जनपद के सीमावर्ती जनपद में नियुक्त नहीं किये जा सकते हैं। सम्बन्धित कर्मियों को उन जनपदों में भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, जहां पर उनकी अचल सम्पत्ति हो।
- 2- जनपद लखनऊ में निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त मुख्य आरक्षी ना०पु०/सा०पु० एवं आरक्षी पुलिस लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 05 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। इसी प्रकार निरीक्षक/उपनिरीक्षक ना०पु० भी लखनऊ स्थित अजनपदीय इकाई में अधिकतम 03 वर्ष ही नियुक्त रहेंगे। जनपद लखनऊ के अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में निर्धारित जनपदीय सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त कोई भी निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षी उसी जनपद में स्थित अजनपदीय इकाई में नियुक्त नहीं रह सकेगा।
- 3- शासनादेश दिनांक: 24-07-2015 में पुलिस विभाग के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों (निरीक्षक व उपनिरीक्षक को छोड़कर) जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, को उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, परन्तु शासनादेश दिनांक: 11-07-1988 में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत सम्बन्धित कर्मों को जिस जनपद में उसका कार्यकाल पूर्ण है, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- 4- जिन पुलिस कर्मियों की सेवानिवृत्ति 01 वर्ष या उससे कम अवधि में है उन निरीक्षक, उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षी व आरक्षीगण जिनकी सम्बन्धित जनपद/परिक्षेत्र में समयावधि पूर्ण हो चुकी है परन्तु वह उसी जनपद/परिक्षेत्र में बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
- 5- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मों की राजकीय रेलवे पुलिस में तैनाती की अवधि उस जनपद में जोड़ी जायेगी, जिस जनपद के अन्तर्गत पड़ने वाले थाना/चौकी में वह कार्यरत रहा है।

6- अजनपदीय इकाईयों के मुख्यालय एवं खण्ड/अनुभाग में ऐसे पुलिस पुलिस कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी, यदि वह अजनपदीय इकाई अथवा उसका खण्ड/अनुभाग उनसे गृह जनपद में स्थित है।

7- उपरोक्त मानक वार्षिक एवं सामान्य स्थानान्तरण प्रक्रिया में भी लागू होंगे।

वार्षिक स्थानान्तरण :-

- 1- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्तर पर वार्षिक स्थानान्तरण में निरीक्षक ना0पु0 एवं उपनिरीक्षक ना0पु0, स0पु0 को पूर्व की भांति जोन आवंटित किया जायेगा। मुख्य आरक्षी ना0पु0,स0पु0 व आरक्षी पुलिस को परिक्षेत्र आवंटित किया जायेगा।
- 2- मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड, द्वारा एक सप्ताह में पुलिस कर्मियों को जनपदों में स्थानान्तरित/आवंटित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद स्थानान्तरित/आवंटित करते समय जोन/परिक्षेत्र के जनपदों में पुलिस कर्मियों के रिक्तियों के आनुपातिक सन्तुलन को बनाये रखने का दायित्व सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी का होगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस स्थापना बोर्ड कर्मियों को जनपद आवंटित किये जाने की सूचना सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को देंगे जो अधिकतम दो सप्ताह में प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर्मियों को कार्यमुक्त करेंगे।
- 4- यदि कोई कर्मी वार्षिक स्थानान्तरण आदेश के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहे तो मुख्यालय स्तर से आदेश निर्गत होने के 15 दिवस के अन्दर सीधे पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना कार्यालय को प्रेषित कर सकेगा, जिसे जोनल स्तर से अभिमत प्राप्त कर नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा। मुख्यालय द्वारा प्रत्यावेदन निस्तारण के उपरान्त निर्णयानुसार सम्बन्धित कर्मी को 07 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- वार्षिक स्थानान्तरण में कार्यकाल निर्धारण हेतु कट आफ डेट सदैव की भांति दिनांक: 30 अप्रैल को ही मानते हुए गणना की जायेगी।
- 6- सभी स्तरों पर वार्षिक स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष के 30 जून तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जायेगी। इस अवधि के उपरान्त सामान्य स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

सामान्य स्थानान्तरण :-

- 1- वार्षिक स्थानान्तरण के उपरान्त यदि किन्हीं कर्मियों का गम्भीर/अपरिहार्य परिस्थितिवश स्थानान्तरण किया जाना नितान्त आवश्यक हो तो सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 2- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु केवल उन आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा जो सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित/प्रस्तुत किये गये हैं।
- 3- कर्मी द्वारा यदि उचित माध्यम के अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों, कर्मियों के परिवारीजन/रिश्तेदारों के माध्यम से अथवा अन्य श्रोतों से स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 27-क में निहित निर्देशों का उल्लंघन होने के कारण सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

प्रशासनिक स्थानान्तरण :-

- 1- अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति स्पष्ट तथ्यात्मक आधारों पर ही की जायेगी। अभिसूचना /एल0आई0यू0 की आख्या, कर्मी द्वारा व्यवसाय किया जाना, गैरकानूनी/अनैतिक कार्यों में लिप्त होना अथवा उसका आचरण सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है आदि, स्पष्ट तथ्यात्मक आधार होंगे। मात्र अस्पष्ट राय अंकित करना स्थानान्तरण का आधार नहीं माना जायेगा। सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध आरोपों के सन्दर्भ में अनिवार्य रूप से गहराई से जांच करायी जाये तथा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाये।
- 2- ऐसे अराजपत्रित पुलिस कर्मियों जिनका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया जाना अनिवार्य ही हो, के सम्बन्ध में समग्र तथ्यों पर गहनता से विचार करते हुये यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ऐसे कर्मी के स्थानान्तरण से इंगित प्रशासनिक कारण वास्तव में दूर हो सकेगा।
- 3- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु सन्दर्भित किये जाने वाले प्रकरणों को सम्बन्धित परिक्षेत्रीय एवं जेनल प्रभारी के माध्यम से एवं अजनपदीय इकाईयों के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
- 4- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने पर उन्हें स्थानान्तरित जनपद/स्थान हेतु तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 5- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सम्बन्धित अराजपत्रित पुलिस कर्मी को उस जनपद/इकाई में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
- 6- प्रशासनिक आधार पर किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय किसी भी जनपद/इकाई में सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

निलम्बन दशा में सम्बद्धता :-

- 1- निलम्बित पुलिस कर्मी को उनके नियुक्ति स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, वरन शासनादेश दिनांकित 12-08-2010 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक होने पर निलम्बित कर्मी को अन्यत्र परिक्षेत्र अथवा उसके जनपदों में सम्बद्ध किया जायेगा।
- 2- ऐसे सम्बद्ध कर्मियों की बहाली पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह बहाली की सूचना सम्बद्धता आदेश निर्गत करने वाले अधिकारी व सम्बद्धता के जनपद को तत्काल उपलब्ध करायेगे।

एक जनपद से दूसरे जनपद अथवा कार्यालय में कर्तव्यरत कर्मियों की सम्बद्धता

- 1- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी को किसी भी जनपद/इकाई/कार्यालय में किसी भी दशा में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित पुलिस कर्मी जिस पद पर कर्तव्यरत है, वह पद यदि उस जनपद/इकाई/कार्यालय में स्वीकृत है, तो तभी उस पदधारक को वहां नियुक्त किया जायेगा।
- 2- आवश्यक होने पर स्वीकृत नियतन से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की जा सकेगी, परन्तु किसी भी दशा में कर्मी सम्बद्ध नहीं किये जायेंगे।

- 3- जिन कार्यालयों/इकाईयों में जिस पद का स्वीकृत नियतन नहीं है, वहां उस पद के कर्मी नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन:-

- 1- सक्षम पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के सम्बन्ध में निर्गत स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में स्थानान्तरित कर्मी को स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के पन्द्रह दिवस में अन्दर प्रत्येक दशा में कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
- 2- किसी भी अराजपत्रित पुलिस कर्मी का स्थानान्तरण आदेश किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जा सकेगा।
- 3- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित अवधि पूर्ण कर चुके कर्मियों को प्रत्येक दशा में अन्यत्र स्थानान्तरित/रवाना कर दिया जाये। यदि किन्हीं कर्मियों को जोन के अन्तर्गत समयोजित किया जाना सम्भव न हो तो उनका सेवा-विवरण इस मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।
- 4- इस मुख्यालय द्वारा निर्गत स्थानान्तरण आदेशों से स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी एवं अजनपदीय इकाई के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी तथा अजनपदीय इकाई के विभागाध्यक्ष, अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्वयं द्वारा स्थानान्तरित कर्मियों के कार्यमुक्ति का पर्यवेक्षण करेंगे। इस मुख्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति :-

- 1- मुख्य आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी स0पू0 के पद पर स्थानान्तरित होने पर जनपद/इकाई में आगमन की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 2- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी नियुक्ति जनपद से कार्यमुक्त होकर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ में आगमन दर्ज कराकर ही प्रतिनियुक्ति की इकाई हेतु प्रस्थान करेगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मियों को 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्थित प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु वापस किया जायेगा, जहां से उन्हें स्थानान्तरित जनपद हेतु रवाना किया जायेगा।
- 3- प्रतिनियुक्ति से वापस आये कर्मियों की उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के सम्बन्ध में यदि शिकायत प्राप्त होती है तो, सम्बन्धित जोनल/परिक्षेत्रीय प्रभारी समीक्षोपरान्त आवश्यक होने पर उक्त को कर्मी अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे।
- 4- 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी।
- 5- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति से गहन जनपद में वापस आने पर उसे न्यूनतम दो वर्ष तक उस जनपद में नियुक्त/स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, जहां पर वह वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कार्यरत था।


6- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान कर्मी जिन-जिन जनपदों में कार्यरत रहेगा वह अवधि उसकी उस जनपद की जनपदीय पुलिस सेवा अवधि में आगणित की जायेगी।

7- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी को प्रतिनियुक्ति की इकाई द्वारा उन जनपदों में नियुक्त नहीं किया जायेगा जहां सम्बन्धित कर्मी का पुलिस विभाग का जनपदीय कार्यकाल पूर्ण हो। अराजपत्रित पुलिस कर्मियों का जनपदीय कार्यकाल शासनादेश दिनांकित: 11-07-1988 द्वारा परिभाषित है। साथ ही प्रतिनियुक्ति की इकाई में भी उसकी नियुक्ति अवधि सम्बन्धित जनपद में निर्धारित कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

8- वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर्मी द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किये अपने गहन जनपद/इकाई में आगमन करा लिया जायेगा। ऐसा न करने पर आदेशों की अवहेलना के सम्बन्ध में गहन जनपद/इकाई के प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

9- प्रतिनियुक्ति पर तैनात किसी भी कर्मी को प्रशासनिक आधार पर प्रतिनियुक्ति के उपक्रम/इकाई द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही पैत्रक विभाग को वापस किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में समिति द्वारा तय किये गये मानकों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।



(एसपी/शिरडकर)
पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

- 3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस।


24/6/17

Fax

संख्या: 1091/6-पु-1-15-81/2001

प्रति,
उत्तर प्रदेश शासन।

hb03

सेवा में
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3202
शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-1
विषय-पुलिस बल के अराजकचित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
लखनऊ दिनांक 24 जुलाई, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: डीजी-घर-स्था-106(370)/2015, दिनांक 17-06-2015 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति के अनुसार पुलिस विभाग के अराजकचित कर्मियों को उनकी सेवायुक्ति के 02 वर्ष की समयवधि के अन्तगत उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त करने की व्यवस्था को लागू करने हेतु शासनदेश संख्या 1039/6-पु-1-14-81/2001, दिनांक 07-06-2014 में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

IG(E)

D 4 P
25-7-15

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

2- इस सम्बन्ध में भुले यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति पुलिस विभाग के सभी अराजकचित अधिकारियों/कर्मचारियों (निरीक्षक तथा उप निरीक्षक को छोड़ते हुए) को, जिनकी सेवा अवधि 02 वर्ष या उससे कम है, उनके गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्त किए जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

3- प्ररगत शासनदेश दिनांक 07-06-2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मिपदीय
23-7-15
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या: 1091(1)/6-पु-1-15-81/2001 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, ७०५० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना विभाग, ७०५० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, ७०५० लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, ७०५० लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, ७०५० लखनऊ।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, ७०५० पुलिस वैश्वी मुख्यालय, लखनऊ।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, स्थापना, ७०५० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक/परिचय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, समस्त जम्खद, ७०५०।
9. गृह (पुलिस) एवं गोपन के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

HCC/

W

पुलिस महानिदेशक

26/7/15

आज्ञा से,
(बन्धू लाल)
अनु सचिव।

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्यिक)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
७० ५०, लखनऊ
०९/०८/१५

1001

2

संख्या-797/6-प-1-12-81/2001

श्रीमान्,
जीएच पीओसी,
सचिव, गृह
उपआयुक्त कार्यालय।

सेवा में,
पुलिस महानिदेशक,
उपआयुक्त कार्यालय।।

गृह (पुलिस) अनुभाग-1- सखनोक
विषय: पुलिस बल के आरंभी, मुख्य आरंभी, उप निरीक्षक तथा निरीक्षक की नियुक्ति एवं
स्थापनाकारण।

दिनांक 12 मार्च, 2012

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-500/आठ-1-86 दिनांक 11, जुलाई, 1986 का
कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त शासनादेश में गृह मंत्रालय के द्वारा 11 जुलाई 1986 को पुलिस विभाग में कार्यरत आरंभी
तथा मुख्य आरंभी के स्थापनाकारण की वर्तमान स्थिति की अनुसार आरंभी एवं मुख्य आरंभी का
स्थापनाकारण उनके गृह मंत्रालय की द्वारा किये जाने की कारण इन पुलिस कर्मियों की व्यवस्था
मंत्रालय के द्वारा पुलिस विभाग में की जायेगी।
1- उपरोक्त शासनादेश संख्या- 500/आठ-1-86 दिनांक 11 जुलाई, 1986 की कृपया सीमा
तक संतोषित समझा जायेगा।

भवदीय,
[Signature]
(सोना लाल)
सचिव

प्रतिभा व निरीक्षक पदों।

- उपरोक्त की प्रति निम्नांकित को सूचना एवं आदेशक कार्यवाही हेतु भेजित :-
- (1) उपर पुलिस महानिदेशक, कार्यालय, उपआयुक्त कार्यालय।
- (2) पुलिस महानिरीक्षक स्थापना, मुख्यतः पुलिस महानिदेशक, उपआयुक्त कार्यालय।
- (3) पुलिस उप महानिरीक्षक स्थापना उपआयुक्त पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- (4) गार्ड फाइल।

अतिरिक्त
[Signature]

आशा है,
(सोना लाल)
सचिव

70/3/12

...

FOR LMSBCT FAX

...